

कार्यालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक / 1665

दिनांक :- 15.11.17

सचिव
नगर विकास न्यास
चित्तौड़गढ़

विषय :- शहरी जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत (C.S.R) देहली गेट से एन.एच 79 वाया मानपुरा सड़क चौड़ी करना एवं डामरीकरण के कार्य हेतु उक्त सड़क वर्ष 1980 से पूर्व की निर्मित होने का प्रमाण पत्र जारी कराने बाबत।
प्रसंग :- श्रीमान् सचिव महोदय नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक 3346 दिनांक 14.11.2017 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि नगर विकास न्यास द्वारा देहली गेट से N.H. 79 वाया मानपुरा सड़क को चौड़ी करने हेतु उक्त सड़क वर्ष 1980 से पूर्व की निर्मित होकर वर्तमान में चालु है का प्रस्ताव पत्र पूर्व में श्रीमान् द्वारा जारी किया गया। वन विभाग द्वारा उसमें आपत्ति बतायी गयी है। अतः मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा की गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रमाण पत्र श्रीमान् को प्रतिहस्ताक्षर कर जारी कराने हेतु पेश है।

प्रमाण- पत्र

पटवारी हल्का चित्तौड़गढ़ एवं मानपुरा की रिपोर्ट के आधार पर एवं मेरे स्वयं मौका निरीक्षण पश्चात् यह प्रमाणित किया जाता है कि देहली गेट से एन.एच. 79 वाया मानपुरा सड़क वर्ष 1980 से पूर्व की बनी हुई होकर वर्तमान में मौके पर चालु है।

आज दिनांक 15.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय से यह प्रमाण पत्र जारी किया गया।

प्रतिहस्ताक्षर

(सुरेश कुमार)
उपस्थान्त अधिकारी
चित्तौड़गढ़

अधिशायी अभियन्ता
नगर विकास न्यास
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़